भारत में यौन स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास

यौन क्रांति, जिसे यौन मुक्ति के रूप में भी जाना जाता है, एक सामाजिक आंदोलन था जिसने 1960 के दशक से 1970 के दशक तक विकसित पश्चिमी दुनिया भर में कामुकता और पारस्परिक संबंधों से संबंधित व्यवहार के पारंपरिक कोड को चुनौती दी थी। यौन मुक्ति में पारंपरिक विषमलैंगिक, एकल संबंधों (मुख्य रूप से विवाह) के बाहर सेक्स की बढ़ती स्वीकृति शामिल थी। गर्भनिरोधक और गोली, सार्वजनिक नग्नता, पोर्नोग्राफी, विवाह पूर्व सेक्स, समलैंगिकता, हस्तमैथुन, कामुकता के वैकल्पिक रूप और गर्भपात के वैधीकरण का सामान्यीकरण सभी का पालन किया गया।
भारतीय संदर्भ में यौन क्रांति कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन काल से ही भारत यौन प्रथाओं के मामले में उदार यौन मूल्यों का स्थान रहा है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रागैतिहासिक भारतीय कलाकृतियों को देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानव शरीर के चित्रण में उदार थे। मोहन जोदड़ो में पाई गई नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति पूरी तरह से नग्न है और उसमें कामुकता है। इस बात की बहुत संभावना है कि वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता का हिस्सा थी।
महाभारत और रामायण में वेश्याओं का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण वनवास जाते समय कहते हैं "जब हम अयोध्या नगरी में वापस आएंगे, जहां सुंदर वेश्याओं का बहुत उल्लेख मिलता है। उसी वाल्मीकि रामायण में मुख्य पात्र और हिंदू भगवान राम कहते हैं "सेक्स मानव क्रिया का सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मानव यौन संबंधों का चित्रण दुर्लभ नहीं है। प्राचीन धार्मिक हिंदू पुस्तकों में जानवरों के साथ सेक्स का भी उल्लेख है।

हरिवंश पुराण, भविष्य पर्व ३.५.११-१३ "कुछ समय बीतने के बाद, राजा जनमेजय, जो बहुत अधिक कर (यज्ञों में) अर्पित करते थे, ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। काशी के राजा की पुत्री देवी वपुष्टमा, निर्धारित अनुष्ठान के अनुसार, मारे गए घोड़े के साथ चली गईं और सो गईं। सुंदर अंगों वाली रानी को देखकर, वासना (इंद्र) ने उस पर काम किया। मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश करके, इंद्र ने रानी के साथ संभोग किया। इसके अलावा अश्लीलता, यौन कार्य और समलैंगिकता के बारे में विभिन्न संदर्भ हैं।
अश्लील मूर्तियों के चित्रण का एक प्रसिद्ध उदाहरण भारत के विभिन्न मंदिर हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर परिसर मध्य भारत के खजुराहो में है। जहाँ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर विभिन्न मुद्राएँ दर्शाई गई हैं।
भारत पर तुर्की के आक्रमण के बाद कई भारतीयों को महिलाओं की कामुकता के बारे में अपने विचार बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिलाओं का घूंघट करना शुरू हुआ जो कभी भी भारतीय समाज का हिस्सा नहीं था। यह महिलाओं की यौन पसंद पर पहला अधिरोपण हो सकता है क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को सामान्य रूप से पुरुषों की नज़र से

अपने शरीर को छिपाने का निर्देश दिया गया है। महिलाओं के चेहरे छिपाने का एक और कारण आक्रमणकारी सेनाओं और शक्तिशाली व्यक्तियों से यौन उत्पीड़न का लगातार खतरा था, उस समय जब लगभग अराजकता व्याप्त थी।

1878 में विक्टोरियन ईसाई नैतिकता के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत में वर्नाक्यूलर पोर्नोग्राफी और सेक्स टॉयज के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले महिलाओं के इस्तेमाल के लिए यूरोप से रबर के लिंग आयात किए जाते थे।

ईसाई मिशनरियों के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने कई शास्त्रीय स्थानीय पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें कामुकता या सेक्स का चित्रण था।

वलेचुरु नारायण राव कहते हैं, 'इसलिए, ब्रिटिश सरकार कक्षाओं में प्रवेश कर गई, तेलुगु साहित्य में प्रवेश कर गई, यह कहते हुए सब बदल दिया: यह अश्लील है, ऐसा मत करो। यह एक बहुत ही दिलचस्प कदम है। आप जानते हैं कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती क्योंकि कवि और बुद्धिजीवी खुद इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि सेक्स पर लिखना महत्वपूर्ण है। ईसाई नैतिकता के प्रचार के परिणामस्वरूप, हालांकि इसे आमतौर पर विक्टोरियन नैतिकता कहा जाता है, यहां तक कि कवि और लेखक भी आश्वस्त हो गए। उस समय जब पुरानी किताबें दोबारा छापी जाती थीं, तो जब भी सेक्स से संबंधित कोई शब्द होता था तो किताब में बिंदु होते थे। मेरे पास ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनके पन्ने डॉट डॉट डॉट डॉट हैं, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाता और अदालत में ले जाया जाता।

आज़ादी के बाद, 1947 में, आंध्र के मुख्यमंत्री प्रकाशम ने उस कानून को हटा दिया और इसलिए हम बिना बिन्दुओं के किताबों को फिर से छाप सकते थे। वास्तव में, कामसूत्र जैसे ग्रंथों को भी अनैतिक माना जाता था और इसलिए उन्हें नहीं छापा जाता था। उस समय, इन किताबों को छापने और उन्हें भारत में तस्करी करने की संभावना थी। आप दक्षिण भारत के फ्रांसीसी क्षेत्र में जाएँ जहाँ ब्रिटिश कानून लागू नहीं होता है, और इसलिए किताबें फ्रांसीसी क्षेत्र में छपी और तस्करी की गईं। मेरे पास वहाँ छपी बहुत सारी किताबें हैं; हमें बहुत सावधान रहना पड़ा। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो चल रही थीं। आज भी, तेलुगु कवि किसी महिला का वर्णन करते समय यौन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं।

मिरहा बट कहती हैं, '1858 में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत को उपनिवेशित करने के बाद, 'बर्बर मूल निवासियों को सभ्य बनाने' की महत्वाकांक्षा ने कई कानूनी और सामाजिक सुधारों को प्रेरित किया। उत्तर-औपनिवेशिक नारीवादियों ने जोर देकर कहा है कि औपनिवेशिक शासकों, मूल कुलीन पुरुषों और ब्रिटिश महिलाओं के हितों पर जोर देने से केवल भारतीय महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचा है, जो आज भी दो तरह से प्रताड़ित हैं, पहला साम्राज्यवादी विरासत और दूसरा पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा। कई विद्वानों ने इस 'सभ्य बनाने' के मिशन को भारतीय पुरुषों को यह दावा करके कमजोर करने का एक तरीका माना है कि वे अपनी महिलाओं की देखभाल करने में असमर्थ हैं, और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए यह संघर्ष भारतीय महिलाओं की पीठ पर लड़ा जा रहा है (राइट और चिटनिस, 2007)।

सेक्सुअल फ्रीडम परेड को नहीं मिली मंजूरी पर पहुंचे समर्थक

नई दिल्ली (एसएनबी)। वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी जैसी प्रतिबंधित चीजों से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर 'सेक्सुअल फ्रीडम परेड' को पुलिस की मंजूरी नहीं मिली, बावजूद इसके आयोजकों में शामिल लोग जंतर मंतर पहुंचे और इसे अपना अधिकार बताया। इस परेड को कवर करने के लिए बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजकों ने कुछ पोस्टर हाथों में ले रखे थे और दावा किया गया था कि ये पोस्टर भारतीय संस्कृति में खुले यौन संबंधों का वर्णन करते हैं।

▶ मुन्नी देवी व खैराती लाल भोला पहुंचे जंतर मंतर, दिया समर्थन

हालांकि 'इंडियन फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज' द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परेड में गिने चुने लोग ही थे। अपना समर्थन देने के लिए वेश्याओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली मुन्नी देवी और भारतीय पतिता उद्धार सभा के संस्थापक खैराती लाल भोला भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने वेश्याओं की दयनीय स्थिति पर अफसोस जताया और वेश्यावृत्ति को कानूनी मंजूरी देने की मांग की। मुन्नी देवी ने कहा कि वेश्याओं के साथ लोग सम्मानजनक मानवीय व्यवहार नहीं करते। खैराती लाल भोला ने कहा कि 25 लाख से अधिक सेक्स वर्करों के 50 लाख से अधिक बच्चे हैं। क्या इतनी बड़ी संख्या में इन मासूम बच्चों को अपनी पहचान पाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सेक्स व्यक्ति का निजी मामला है लिहाजा इसमें कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। कानून लोगों को सुरक्षा देने के लिए है उसे समलैंगिकों और वेश्याओं को सुरक्षा देनी चाहिए। इंडियन फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज के संस्थापक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि लोग हमारा साथ देना तो चाहते हैं लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है कि लोग झिझकते हैं। उन्होंने कहा कि परेड की स्वीकृति को आखिरी समय में पुलिस ने रद्द कर दिया।

नारीत्व की विक्टोरियन धारणाओं (जिसमें शुद्धता, मासूमियत और निष्क्रियता शामिल है) के साथ पितृसत्तात्मक और संरक्षणवादी नीतियाँ आईं, जो आधुनिक समाज में बनी हुई हैं।
भारत में पोर्नोग्राफी अभी भी अवैध है। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों ने वेश्यावृत्ति को कभी भी गैरकानूनी नहीं बनाया। यहां तक कि उन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया और सैनिकों की सेवाओं के लिए सैन्य छावनी में अलग-अलग रेड लाइट एरिया स्थापित किए।
1955 में भारत सरकार ने संगठित वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित कर दिया। कई यौनकर्मियों ने इस वेश्यावृत्ति विरोधी कानून के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन अंततः उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 1980 के दशक में एचआईवी/एड्स के कारण सरकार ने रेड लाइट क्षेत्रों पर ध्यान दिया और कई गैर सरकारी संगठनों ने यौनकर्मियों को शिक्षित करना चाहा और यौनकर्मियों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य भी किए और यह भी मांग की कि वेश्याएं वास्तव में श्रमिक हैं और समाज की सेवा कर रही हैं।
खैरातीलाल भोला की अध्यक्षता में पतिता उद्धार सभा नामक एक संगठन ने भारत में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के लिए याचिका दायर की, लेकिन अंततः उसे कोई सफलता नहीं मिली।
समलैंगिक अधिकारों के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन नाज़ फाउंडेशन ने भारत के विभिन्न शहरों में एलजीबीटीक्यू मार्च का आयोजन किया। इसे सबसे पहले नई दिल्ली में शुरू किया गया था, बाद में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

नाज़ फ़ाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार (२००९) दिल्ली उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया एक ऐतिहासिक भारतीय मामला है, जिसमें माना गया कि वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानना भारत के संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस फैसले के परिणामस्वरूप पूरे भारत में सहमति देने वाले वयस्कों को शामिल करने वाले समलैंगिक कृत्यों को अपराध से मुक्त कर दिया गया। इसे बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फ़ाउंडेशन में पलट दिया, जिसमें २ न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ को बहाल कर दिया। हालाँकि, इसे भी २०१८ में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में ५ न्यायाधीशों की पीठ ने पलट दिया, जिसने समलैंगिकता को एक बार फिर से अपराध से मुक्त कर दिया।

वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी और सेक्स टॉयज के वैधीकरण के लिए मेरे द्वारा स्थापित दिल्ली स्थित संगठन इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज ने 21 अप्रैल 2012 को नई दिल्ली में पहला यौन स्वतंत्रता मार्च आयोजित किया। इस यौन स्वतंत्रता मार्च की अनुमति दिल्ली पुलिस ने रद्द कर दी थी लेकिन हम इसे आयोजित करने के लिए दृढ़ थे और आखिरकार हमने इसे आयोजित किया। इस यौन स्वतंत्रता मार्च में पतिता उद्धार सभा के संस्थापक खैराती लाल भोला और नई दिल्ली के रेड लाइट एरिया की कई सेक्स वर्कर्स शामिल हुईं और 21 अप्रैल को भारत में यौन स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। यौन स्वतंत्रता के लिए इस मार्च के बाद डॉक्टर जना की अध्यक्षता वाली दरबार महिला समिति ने कोलकाता में भी इसी तरह का आयोजन करना चाहा और सेक्स वर्कर्स फ्रीडम फेस्टिवल का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर से 500 से अधिक सेक्स वर्कर्स ने भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने कई सेक्स वर्कर्स को इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी

अगस्त 2013 में दरबर महिला समिति कोलकाता ने नई दिल्ली में सेक्स वर्कर्स अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारत सरकार के मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज और कई सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया।

2021 में इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज ने भारत के वित्त मंत्री को सेक्स टॉयज के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए एक पत्र भेजा था। 2022 में 21 अप्रैल को यौन स्वतंत्रता दिवस पर इंडियंस फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज संगठन ने नई दिल्ली के रेड लाइट एरिया कोठा नंबर 52 में सेक्स वर्क को वैध करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को पत्र भेजे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के महीने में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को वयस्क और सहमति से सेक्स वर्करों के खिलाफ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए।

अदालत ने कहा, "इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पेशे के बावजूद, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।"

पोर्नोग्राफी के व्यावसायिक उत्पादन को वैध बनाने और सेक्स टॉयज पर प्रतिबंध हटाने के लिए मेरी लड़ाई अभी भी जारी है।

[यह लेख इंडियन्स फॉर सेक्सुअल लिबर्टीज के संस्थापक डॉ. लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया है। उनसे laxman1378@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है]